प्रपत्र-अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 314
द्वारा माननीय विधायक श्री शैलेन्द्र पटेल, सदन दिनांक 20/7/17

मेसर्स अल्फा प्रोटीन्स (प्रा0) लि0 भाउखेड़ी, तहसील–इछावर, जिला–सीहोर के विरूद्ध 03 वर्षों में प्राप्त शिकायतों का विवरण

क0	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का ब्योरा	जांच पर पाई गई स्थिति	बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही
1	11–05–2015 द्वारा सीएम हेल्प लाइन शिकायत कमांक 457345 दिनांक 26–11–2014	विनोद वर्मा ग्राम भाउखेड़ी	अल्फा प्लांट का गंदा पानी नहर में निकाला जा रहा है जिसके कारण पानी प्रदूषित हो रहा है । उसको जानवर भी नहीं पी सकते है । बीमारी का खतरा बना हुआ है ।	जांच दिनांक 02.06.2015 इटीपी बंद पाया गया लैगून स्लज से भरे हुये पाये गये । दूषित जल परिसर से लगे नाले में सीधे छोड़ा जा रहा था । हाउसकीपिंग बहुत खराब पाई गई । जांच दिनांक 14.08.2015 इटीपी बंद पाया गया दूषित जल परिसर से लगे नाले में सीधे छोड़ा जा रहा था जिसकी गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। हाउसकीपिंग बहुत खराब पाई गई । उद्योग परिसर के ट्यूबवेल का पानी ठीक पाया गया ।	दिनांक 05.06.2015 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । दिनांक 15.06.2015 को जल अधिनियम 1974 की धारा 33क के अन्तर्गत उद्योग बंद करने के पूर्व का सूचना पत्र जारी किया गया । दिनांक 14.08.2015 को उद्योग को जल अधिनियम 1974 की धारा 33क में प्रकिया बंद करने के निर्देश जारी किये गये ।
2	11–05–2015 द्वारा सीएम हेल्प लाइन शिकायत कमांक 457440 दिनांक 26–11–2014	गजराज वर्मा ग्राम संकलखेड़ा	अल्फा प्लांट में चमड़ा गलाया जाता है एवं हड्डी पीसी जाती है, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है । बोर का पानी एवं कुयें का पानी भी प्रदूषित हो रहा है । साथ वातावरण भी खराब हो रहा है ।		
3	11–05–2015 द्वारा सीएम हेल्प लाइन शिकायत कमांक 467484 दिनांक 29–11–2014	ओमप्रकाश प्रकाशजी ग्राम भाउखेड़ी	गांव में कांकरखेड़ा तालाब से पानी नहर में आता है जिसमें अल्फा फैक्ट्री का गंदा पानी नहर में डाला जा रहा है । इस गंदे और दूषित पानी से 02 लोगों की मृत्यु होने की आशंका बताई जा रही है ।		

RS Gupta

4	11—05—2015 द्वारा सीएम हेल्प लाइन शिकायत क्रमांक 476889 दिनांक 01—12—2014	मथुरा केशवरिया ग्राम बिजोरी	सीहोर के गांव भाउखेड़ी में अल्फा फैक्ट्री है । ग्राम कांकरखेड़ा में अल्फा कंपनी का केमिकल का पानी उतावली नदी में व नहर में मिल रहा है । पानी बहुत अधिक प्रदूषित हो रहा है, जिससे फसल नष्ट हो रही है व जो भी जानवर एवं पशु पक्षी पानी पीता है वह मर जाता है । शिकायतकर्ता व अन्य लोग बहुत परेशान है ।	जबकि कुयें के पानी की गुणवत्ता पेयजल योग्य नहीं पाई गई । **जांच दिनांक** 27.10.2015 उद्योग में उत्पादन बंद पाया गया । स्थापित ईटीपी का संधारण कर लिया जाना पाया गया ।	**दिनांक** 06.11.2015 उद्योग द्वारा दूषित जल उपचार व्यवस्था का उन्नयन 06 माहमें कर लेने के प्रस्ताव का शपथ पत्र एवं रूपये 01 लाख की बैंक गांरटी जमा कराई गई ।
5	11—05—2015 द्वारा सीएम हेल्प लाइन शिकायत क्रमांक 516877 दिनांक 12—12—2014	कमल सिंह वर्मा ग्राम भाउखेड़ी	भाउखेड़ी में एक नहर है जिसमें अल्फा प्रोटीन कंपनी द्वारा गंदा पानी छोड़ा जाता है जिससे नहर का पानी गंदा हो जाता है और पानी से बहुत खुजली उत्पन्न हो रही है । किसान काफी परेशान है	उद्योग परिसर में बरसाती नाले की तरफ मिट्टी की चौड़ी पाल का निर्माण कर लिया गया था जिससे दूषित जल नाले में ना जावे ।	**दिनांक** 16.11.2015 उद्योग को पुनः से संचालन की अनुमति इस शर्त के साथ जारी की गई कि उद्योग सदैव ईटीपी का
6	11—05—2015 द्वारा सीएम हेल्प लाइन शिकायत क्रमांक 739004 दिनांक 18—02—2015	करन सिंह वर्मा ग्राम भाउखेड़ी	अल्फा कंपनी के कारण काफी परेशानी हो रही है । कंपनी से लगातार निकलता धुंआ वातावरण को प्रदूषित कर रहा है । कंपनी से बहुत बुरा धुंआ निकलता है जिससे गांव के लोगों को सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।	**जांच दिनांक** 07.12.2015 उद्योग परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया । **जांच दिनांक** 12.01.2016 उद्योग परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया । **जांच दिनांक** 08.02.2016 उद्योग परिसर के बाहर दूषित जल का नाले में	संचालन एवं संधारण कर दूषित जल का मानकों तक उपचार करेगा एवं उपचारित दूषित जल को कृषि कार्यों में उपयोग कर उसे समाप्त करेगा । उद्योग परिसर के बाहर किसी भी प्रकार का दूषित जल निस्सारण करेगा ।

				निस्सारण नहीं पाया गया **जांच दिनांक** 08.06.2016 उद्योग परिसर के बाहर दूषित जल का नाले में निस्सारण नहीं पाया गया **जांच दिनांक** 10.11.2016 उद्योग परिसर के बाहर दूषित जल का नाले में निस्सारण नहीं पाया गया किन्तु उद्योग द्वारा ईटीपी का उन्नयन का कार्य भी पूर्ण नहीं किया गया । हाउसकीपिंग की व्यवस्था खराब पाई गई । **जांच दिनांक** 05.07.2017 उद्योग के दूषित जल कानाले में निस्सारण नहीं पाया गया । उद्योग का ईटीपी कार्यरत अवस्था में नही पाया गया तथा ना ही उसके उन्नयन का कार्य होना पाया गया ।	**दिनांक** 25.11.2016 उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया । **दिनांक** 06.07.2017 उद्योग को जल अधिनियम 1974 की धारा 33क एवं वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31 के अन्तर्गत प्रकिया बंद करने के निर्देश जारी किये गये । **दिनांक** 07.07.2017 उद्योग के विरूद्ध जिला न्यायालय सीहोर में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया ।

Sugan